

प्रेषण,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2020

विषय:—ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण-1) में एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर रु. 03 लाख की धनराशि अनुमन्वित है। कई जनपदों में इससे अधिक लागत के, बेहतर मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की उच्च कोटि की गुणवत्ता कालान्तर में सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव की लागत को कम करने में मदद करेगी। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर प्रदेश में एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। ऐसे में सामुदायिक शौचालयों का नियमित प्रयोग हो और जिस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रख-रखाव की अच्छी व्यवस्था बनाई जाय।

2- सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई और रख-रखाव सुगमता के साथ हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त जल की उपलब्धता वहां सुनिश्चित हो। अच्छा होगा कि वहाँ रनिंग वाटर टैप की व्यवस्था बनायी जा सके।

3- सामुदायिक शौचालय उन परिवारों द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं जो किन्हीं कारणवश निजी मकान में व्यक्तिगत शौचालय निर्मित नहीं करा पाये हैं, ऐसे व्यक्ति व परिवार जो प्लोटिंग पापुलेशन के रूप में हैं एवं अन्य ग्रामीण जनता भी इनका प्रयोग कर सकती है।

4- अगर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तो उसे महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए अगर दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है तो ऐसी दशा में एक महिला व एक पुरुष के लिए आरक्षित किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश एक ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है तो यह सुनिश्चित किया जाय कि पुरुष व महिला के लिये अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार हो। सामुदायिक शौचालय पर किये जा रहे निवेश को सार्थक बनाये रखने के लिए रख-रखाव की उचित व्यवस्था

अत्यन्त ही आवश्यक है। इसी काम में यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। एक सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव के लिए निम्न व्यवस्था अनुगम्य होगी:-

क्रम सं०	रखरखाव एवं नरन्त हेतु मद	कार्य विवरण	मासिक राशि
1	सफाई कर्मी / केयर टेकर	दिन में काम से कम हो चार सफाई	रुपये 8000 प्रतिमाह
2	नरन्त	बिजली, प्लंबिंग, नल व टोटी, गरमन	रुपये 500 प्रतिमाह
3	साफ-सफाई की सामग्री	झाड़ू, ब्रश, साईपर, स्पंज, कपड़े पोछा, वास्टी, गम आदि।	1200 रु० (6 माह में एक बार)
4	निसंक्रामक सामग्री	साबुन, धोशिंग पाउडर, एयरफेशनर, ग्लव्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने एप्रेन।	रुपये 1000 प्रतिमाह
5	यूटिलिटी चार्ज	पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	रुपये 1000 प्रतिमाह
6	अन्य		रुपये 300 प्रतिमाह
कुल व्यय प्रतिमाह			9,000 / -

5- सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि जो स्वच्छता व सॅनिटाइजेशन के लिये आरक्षित है, उससे की जाएगी। उपरोक्त धनराशि की अनुपलब्धता व कमी की दशा में राज्य वित्त आयोग से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

6- सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव का यह कार्य व दायित्व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सुनिश्चित करने की पहली प्राथमिकता होगी। ग्राम पंचायतों में निकटस्थ स्थित स्वयं सहायता समूह से वार्ता कर उन्हें यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से सौंपी जाएगी और सफाई कर्मी को तैनात करने से लेकर सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं सहायता समूह द्वारा की जाएगी। इस कार्य पर होने वाला पूरे वर्ष का व्यय अधिकतम 02 किशतों में पहला-प्रारम्भिक माह में एवं दूसरी किशत 06 माह के बाद बराबर किशतों में स्वयं सहायता समूह को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हैं, तो ग्राम पंचायतों द्वारा सीधे सफाई कर्मचारी को रखते हुए शौचालय के रख-रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। महिला के लिए आरक्षित शौचालय में सफाई व केयर टेकर के रूप में महिला कर्मी तथा पुरुष के लिए आरक्षित शौचालय में इस कार्य के लिए पुरुष कर्मी तैनात किए जाएंगे।

7- स्वयं सहायता समूह एवं कार्यचारियों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ :-

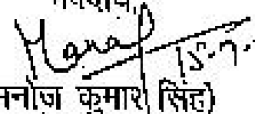
- स्वयं सहायता समूह:
- ✓ संचालन एवं रख-रखाव और सुविधाओं का देखभाल।
 - ✓ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर नियम का प्रयोग करें।
 - ✓ सफाई सामग्री और उपकरण उपलब्ध करना।
 - ✓ शिकायत रजिस्टर को चलाए रखना।

सफाई शेड्यूल:

- ✓ दिन में दो बार

- सफाई कर्मी की भूमिका:
- ✓ दिन-प्रतिदिन की सफाई गतिविधियों को संचालित तथा सामुदायिक शौचालय को साफ रखना।
 - ✓ स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सफाई गतिविधियों के दौरान ग्लव्स व मास्क का प्रयोग करना।
 - ✓ सामुदायिक शौचालय में चोरी को रोकना एवं परिसर को व्यवस्थित रखना।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

 (मनोज कुमार सिंह)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय उच्च निदेशक (पं०), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
 विशेष सचिव।